कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं0 12011/दस-लाइसेंस-77/इलाहाबाद 21 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)(बाइसवाँ संशोधन)नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2(1)परिभाषांए- जब तक वषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क)"अ धनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अ धनियम, 1910 से है;

(ख)"अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य, बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) के अ धकतम फुटकर मूल्य को दस रूपये के अगले गुणांक तक पूर्णा कत कये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनरा श से है, जो आवसनी/यवासवनी/वनटनरी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी/वनटनरी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डस्टलरी लागत/एक्स ब्रिवरी लागत/एक्स वनटनरी लागत के अतिरिक्त वसूली योग्य होगी जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अ धकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी;

(ग)"बीयर" में एल, स्टाउट, पोर्टर, साइडर तथा माल्ट से बनी अन्य समस्त कण्वित शराब जिसकी तीव्रता 3 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी के मध्य है, सम्मि लत हैं;

(घ)"प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य आबकारी अ धनियम की धारा 30 के अधीन बियर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जाएगी;

(ङ)"दैनिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य सम्पूर्ण वर्ष के लए निर्धारित लाइसेंस फीस के 1/365 वें भाग से है;

(च)'धरोहर धनरा श' का तात्पर्य लाइसेंस की स्वीकृति के लये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित कये जाने के लये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनरा श के 1/10 भाग के बराबर की धनरा श से है तथा व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त कये जाने योग्य होगी;

(छ)"आबकारी वर्ष"का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वत्तीय वर्ष से है;

(ज)"परिवार"का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आ श्रत पुत्र(पुत्रों), अ ववाहिता पुत्री(पुत्रियां) तथा आ श्रत माता-पता से है और इसमें वे सम्मि लत हैं;

(झ)"प्रपत्र"का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(ञ)'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्र क्रया के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन के लये आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनरा श के अवरोही क्रम से है;

(ट)"व्यक्ति"का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;

(ठ)"लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अ धनियम की धारा 24-क के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से बीयर ,वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के अनन्य वषेशा धकार के लये, राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष अथवा उसके आं शक भाग के लये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत रा श से है:

परन्तु यह क यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में वर्ष की अवशेष अव ध के लये कया जाता है, तो दुकान के लए लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष की अवशेष अव ध के समानुपात में कया जायेगा;

(ड)"लाइसेंस प्रा धकारी"का तात्पर्य जिले के कलक्टर से है;

(ढ) "कम तीव्रता के मादक पेय" का तात्पर्य कारबोनेट युक्त मादक पेय से है, जिसमें 5 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता और 5 प्रतिशत वी/वी से अ धक 10 प्रतिशत वी/वी तक तीव्रता एल्कोहल हो, जो एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से नि र्मत की गई हो और जो वासक या रंजक द्रव्य या दोनों या अन्य द्रव्य को मलाकर परिष्कृत की गयी हो जिससे क वह व शष्ट स्वाद वाली हो जाय;

(ण)"पोर्टल" का तात्पर्य वशेष रूप से नि र्मत इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्र क्रया से सम्बन्धित इसके वतरण के समाप्य अवस्था तक की सूचनाओं को वहित प्रारूप में अपलोड कया जायेगा, से है;

(त) "मा सक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व"का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या वनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्रा धकारी द्वारा यथा नियतऔर लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ कसी आबकारी वर्ष के माह में अपनी फुटकर दुकान के लये उठाये जाने हेतु प्रत्याभूत बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) से प्राप्त समतुल्य राजस्व से है;

(थ) "प्रतिभूति धनरा श"का तात्पर्य जिला आबकारी अ धकारी के पक्ष में गरवीकृत साव ध जमा रसीद के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के प्रति समस्त दावों और देयों का अन्तिम निस्तारण करने के पश्चात प्रतिसंदेय ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाने वाली लाईसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर की धनरा श से है:

परन्तु यह क नवीकरण की स्थिति में, पूर्व में नकद/ई-पेमेन्ट अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गांरण्टी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय;

(द) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य नवीकरण, ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन अथवा पुनर्व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी वभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के कसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लये दुकानों का व्यवस्थापन वगत वत्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व कया जा सकता है;

(ध)"ऋणशोधन क्षमता"का तात्पर्य फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लये आवेदन करने वाले आवेदक के लये निर्धारित वत्तीय मानदण्ड से है;

(न)'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(प) 'वाइन' का तात्पर्य द्राक्षासव या कसी अन्य फल के गूदे या रस के अल्कोहलयुक्त कण्वन से प्राप्त उत्पाद से है जो प्राकृतिक हो या तेज की गयी हो और जिसकी अल्कोह लक अर्न्तवस्तु 42 प्रतिशत प्रूफ स्प्रिट से अ धक न हो।

(2) इस नियमावली में अपरिभा षत कन्तु अ धनियम में परिभा षत शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अ धनियम में क्रमशः उनके लए समनुदे शत हों।

नियम-3 फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापनः-

(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए बियर , वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा अथवा ऑफर आमंत्रित कर व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) भू-गृहादि के ''बाहर'' उपभोग के लिए मुहरबंद बोतलों और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित ऐसे पात्रों में बियर ,वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र एफ0एल0-5(ख) में प्रदान किया जायेगा।

नियम-4- फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व स्थान के निर्धारण की शक्ति-

राज्य सरकार के परामर्ष से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विषिश्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। विद्यमान नियमावली के अनुसार प्रास्थिति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य

से दुकान को भू-टैग किया जायेगा। दुकानों की स्थिति समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली,1968 के उपबन्धों के अनुसार होगीः

परन्तु यह कि राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा किसी आबकारी वर्ष के दौरान नई दुकानों का सृजन जिले के लाइसेंस प्राधिकारी की मांग पर किया जा सकता है।

नियम-5- लाइसेंस की अवधि-

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी। अनुज्ञापन अनुज्ञापी की इच्छा पर अगले वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीनीकृत अथवा विस्तारित किया जा सकेगा।

नियम-6 लाइसेंस की स्वीकृति -

इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस का अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान किये जाने पर और जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति जमा किये जाने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगाः

परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद/ई-पेमेन्ट अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गारण्टी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वमित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।

7. लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन-

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) के साथ-साथ जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस प्रयोजनार्थ आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ख) बीयर की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और प्रभारी उप आबकारी आयुक्त के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। (एक) ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र; (दो) पैन कार्ड; (तीन) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति; (चार) विहित प्रारुप में शपथ पत्र; (पाँच) विहित प्रारुप में शपथ पत्र की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस और धरोहर धनराशि व उस पर संदेय वैट/जी0एस0टी0 का भुगतान आन लाइन किया जायेगा।

(घ)आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।

8-आवेदक के लिए पात्रता की शर्ते-

फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-

(क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।

भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी, फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी /यवासवनी/ मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।

दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र(यदि कोई हो) के अनुसार विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/ निकट सम्बन्धियों, के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार विचारित किये जायेंगे:

परन्तु मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है:

परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की धारिता को जारी रख सकता है। दो व्यक्तियों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे;

परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती वर्षों से नवीकृत होती आ रहीं दो लाइसेंसों वाली दुकानों के मामलों में नवीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंधारी की मृत्यु हो जाती है तथा उसके विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती आवेदन नही देता है अथवा वह अनुपयुक्त पाया जाता है तो , आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अन्य जीवित लाइसेंधारी के पक्ष में सम्बन्धित वर्ष हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, विहित दिनांक तक जमा करने के निर्बंधन के साथ दुकान का नवीकरण किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष की जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी।

परन्तु यह और भी कि यदि पूर्ववर्ती वर्षो से नवीकृत होती आ रहीं दो जीवित लाइसेंधारी वाली दुकानों का नवीकरण केवल दोनों ही लाइसेंधारियों के मध्य नवीकरण हेतु सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति के अभाव में नवीकरण किया जाना अनुमन्य नही होगा।

(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।

(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।

(गग) आवेदनकर्ता, किसी एक दुकान के लिए स्वंय के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु उनकी पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।

(घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगाः-

(एक)यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।

(दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।

(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।

(पॉच)यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय के उपरान्त प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा।

(छः)यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।

(सात)यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(आठ)यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।

(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।

(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।

(ङ)आवेदक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में, धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।

(च)आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नही होगी:

परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किया गया ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र, यदि विधिमान्य है एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राहय होगा।

नियम-9 लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति-

बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगेः- अर्थात

(एक)	जिले का कलेक्टर		अध्यक्ष
(दो)	जिले का वरिष्ठ पुलिस	अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(तीन)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी		सदस्य/सचिव
(चार)	आबकारी आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी		सदस्य

10-लाइसेंसधारी का चयन-

(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।

(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ई-लाटरी अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा।जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगा और समस्त पात्र तथा अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। या दृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी:

परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों की मृत्यु की स्थिति में नियम-8(क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मृत लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के विधिक वारिस/ परिवार के सदस्य/निकट सम्बन्धी के पक्ष में लाइसेंस के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा।

(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताऐं पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।

नियम-11-व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरणः-

जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 7 दिन के अन्दर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते, प्रतिभूति की धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा तथा उसका विवरण विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-

यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद के माध्यम से जो सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी:

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

परन्तु यह और कि प्रतिभूति धनराशि विहित अवधि के भीतर जमा नही की जाती है तो, रु. 2000/- प्रति दिवस की दर से शास्ति अधिरोपित होगी। शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने हेतु मात्र 15 दिवस की अवधि अनुमन्य होगी।

परन्तु यह भी कि यदि आवेदक विहित समयावधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;

अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियत समयावधि में जमा की जायेगी:

परन्तु यह कि यदि प्रतिभूति नियत अवधि के भीतर जमा नहीं जमा की जाती है तो, रु. 2000/- प्रति दिवस की दर से शास्ति अधिरोपित होगी। शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने हेतु मात्र 15 दिवस की अवधि अनुमन्य होगी।

परन्तु यह और कि यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसके लाइसेंस का नवीकरण निरस्त हो जायेगा;

परन्तु यह भी कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पंद्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

13 बीयर/वाइन का उठान-

(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि0म0-2/वि0म0 2(ख) लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0म0-2/वि0 म0 2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य- बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

(ग)लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के

मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को प्रत्येक या सरकार द्वारा बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. का किसी माह हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;

(घ) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी माह में कम से कम अपने निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी.) का उठान करने में विफल रहता है तो वह सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के अंदर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वत: निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की प्रकिया आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टाक जब्त कर लिया जायेगा।

प्रथम एवं पश्चात्वर्ती त्रैमासिक में न्यूनतम त्रैमासिक राजस्व के उठान में कमी को प्रशमन धनराशि जमा करते हुए जिला आबकारी अधिकारी की अनुज्ञा से अगले त्रैमासिक में पूर्ण कर लिया जाना अनुमन्य होगा।

तथापि संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु अवधारित राजस्व के समतुल्य उठान एवं पिछले त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी लाइसेंसधारी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह/त्रैमास तक अवधारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य उठान कर लिये जाने की दशा में पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया न रहने की स्थिति में तुरन्त वापस कर दी जायेगी। अगले त्रैमास में अपेक्षित राजस्व (पिछले त्रैमास के बकाया राजस्व सहित) का उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।

(दो) अतिरिक्त प्रतिभूति नियत समय के भीतर जमा करने और गत माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य बीयर/वाइन/एल.ए.बी. उठाने में विलम्ब के मर्षण के पश्चात लाइसेंसधारी को गतमाह के बकाया राजस्व और चालू माह के न्युनतम प्रत्याभूत राजस्व का उठान अनुमन्य होगा।

(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत माह में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक माहों की मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी।

यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो।

(ङ) (एक) अपनी दुकान के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अंश, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर मासिक आधार पर ऐसे अंश(कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।

(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।

(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

नियम-14 का संशोधन -

14-बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी-अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर मध्यान्ह 12 से रात्रि 10 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के उपबन्धों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

नियम-15- लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टाक का निस्तारण-

लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर बीयर/कम तीव्रता के मादक पेय की अविक्रीत मात्रा की घोषणा लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी और उसके द्वारा सम्बन्धित थोक विक्रेता को अपरान्ह 5ः00 तक वापस कर दी जायेगी। ऐसे स्टाक का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से किया जायेगा।

नियम- 16 का संशोधन -

अनुज्ञापन का अभ्यर्पण- अनुज्ञापी, अधिनियिम की धारा 36 के उपबन्धों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक माह की लिखित नोटिस देकर कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कायर्वाही करेगा, और आबकारी आयुक्त का ओदश प्राप्त कर अतिशेष धनराशि वापस करेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिये दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही आरम्भ करेगा।

नियम-17 का संशोधन

नियम-17 लाइसेंस का निलम्बन/ निरस्तीकरण व प्रषमन और शास्तियॉ-

(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसंेस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है-

(क) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई बोतल/कैन पायी जाती है जिस पर षुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी विभाग द्वारा सम्यकरूप से अनुमोदित षुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड नहीं लगाया गया है,

(ख) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की षराब या मादक ओशधि (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,

(ग) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत षपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।

(घ) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त राजस्व से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक ओशधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोश सिद्ध किया गया है।

(ड़) यदि अधिनियम या नियमावली के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जा में कोई मदिरा या मादक ओशधि पायी जाती है।

(च) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंसधारण किये हुए है।

(छ) यदि यह पाया जाता है कि बोतलों/पात्रों के लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से प्रभारित किया गया है।

(ज) यदि लाइसेंस युक्त परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, होलोग्राम/श्रिंक स्लीव अथवा बार कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अवैध सामग्री पायी जाती है।

(झ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण या अन्य पदार्थ का मिश्रण/ उसका तनुकरण, उच्च श्रेणी की मदिरा के साथ निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(2) पूर्वोक्त स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस निलम्बित कर देगा, और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा लाइसेंसधारी अपना स्पश्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पष्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पष्चात् उपयुक्त आदेष पारित करेगा।

(3) लाइसेंसधारी इस नियम के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि लाइसेंस निरस्त किया जाता है तो उसकी जमा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराषि सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी को किसी प्रतिकर या प्रतिदाय का दावा करने का हक नहीं होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे भविश्य में कोई आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

(5) फुटकर लाइसेंसों से सम्बंधित प्रषमन योग्य उल्लंघनों के मामलों में निम्नानुसार न्यूनतम प्रषमन षुल्क अधिरोपणीय होगाः-

क्रमांक	उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु0 में)	द्वितीय बार (रु0 में)	तृतीय बार (रु0 में)
1	2	3	4	5
1	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान	2,500	3,000	5,000

	का खुला पाया जाना।			
2	अनाधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना।	5,000	7,000	10,000
3	स्टाक रजिस्टर मॉगने पर न प्रस्तुत करना।	10,000	15,000	20,000
4	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना।	10,000	15,000	20,000
5	बोतलों और पौव्वों या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ कराना।	10,000	15,000	20,000
6	बिक्री में वृद्वि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000
7	ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर /गोदाम में संचित करना।	20,000	25,000	30,000
8	लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टाक का पाया जाना।	25,000	30,000	50,000
9	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना	5,000	10,000	15,000
10	मद्य निषेध, दिवसों में /बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना।	30,000	40,000	50,000
11	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
12	निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय।	75,000	1,50,000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
13	अनुज्ञापित परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना	5,000	10,000	20,000
14	दुकान में सफाई की	2,000	5,000	10,000

	समुचित व्यवस्था न पाया जाना।			
15	किसी एक विशेष दुकान हेतु निर्गत मदिरा का दूसरी दुकान पर (सदभावी कारणों से) पाया जाना।	25000	50000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
16	कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठाई गयी बीयर एवं वाइन की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के सम्तुल्य बीयर एवं वाइन के त्रैमासिक उठान में किये गये विलम्ब की स्थिति में।	50000	50000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
17	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 16 तक पर अंकित न हो।	2,000	5,000	10,000

नियम-17 (क) का संशोधन

17(क)अन्तरिम व्यवस्थापन-

यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम् 14 दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना आवश्यक होगा।

(ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाईसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण की स्थिति में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा। मध्य सत्र में व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया में एकल निविदा भी स्वीकार किये जायेगें। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

नियम-18 विखण्डन और अपवाद

(एक) अद्यतन संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2000 जो आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 18235/दस- 97/ लाइसेंस/2000-2001 /दिनांक 31 मार्च , 2000 के साथ प्रकाशित की गयी है, एतदद्वारा विखण्डित की जाती है।

(दो) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट नियम के प्राविधानों अधीन बीयर या बीयर के समूहों की दुकानों के लिये वित्तीय वर्ष 2000- 2001 के लिये पहले से निष्पादित व्यवस्थापन विधिमान्य रहेगा और 31 मार्च , 2001 तक लागू रहेगा।

प्रपत्र एफ0एल0-5 ख

(नवीकरण हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (वाइन एवं एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....
लाइसेंस संख्या.....
जिला..... परिक्षेत्र.....
लाइसेंस फीस रूपया .....(अंकों में).....(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रू0 …… ……(अंकों में).....(शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के बिना) .....
उत्तर :.....
दक्षिण : .....
पूरब :.....
पश्चिमः.....
लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते
(1).....पुत्र.....निवासी
(2).....पुत्र.....निवासी

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोतलों या कैनो 650 मि0ली0, 500 मि0ली0,330 मि0ली0,300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर एवं 1000मि0ली0, 275मि0ली0 की धारिता में केवल कम तीव्रता के मादक पेय और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है,की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला.....के अन्तर्गत..... .स्थान, पुलिस थाना..... तहसील..... के लिये दिनांक .....से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का अथवा इस नियमावली का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्तें

1- लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श02ख)से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0श0-

2/वि0श02ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श)2ख) से बीयर,वाइन और कम तीव्रता के पेय आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2-लाइसेंसधारी, अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग /पेय नहीं की जायेगी।

4- किसी भी व्यक्ति को 650 मि0ली0, 500मि0ली0, 330मि0ली0 300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000मि0ली0 व 275 मि0ली0 की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

5- बीयर/ वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर 1X1 सेंटीमीटर के स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।

6- उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों या कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर एवं वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसे यू.पी.एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर एस.एम.एस. के माध्यम से अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंसयुक्त परिसर में करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविर्निदिष्ट पी0 ओ0 एस0(प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

''दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

''शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''

10- लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11- लाइसेंसधारी किसी क्रेता को भारत में निर्मित व आयातित बियर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी लाइसेंस के बिना नहीं करेगा।

12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी, इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के दृष्टिगत उपभोक्ता को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।

17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को

छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।

18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।

21- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में विहित शुल्क का संदाय करने के पश्चात् नौकरनामा जारी करेगा।

दिनांक .....

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

प्रपत्र एफ0एल0-5 ख (1)

(नवीन लाइसेंस हेतु)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द बोतलों में बीयर (वाइन एवं एल0ए0बी0 सहित) की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस

आवेदक का फोटो	दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....

लाइसेंस संख्या.....

जिला..... मुहल्ला(परिक्षेत्र).....

लाइसेंस फीस रूपया .....(अंकों में).....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रू0 …… ……(अंकों में).....(शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के बिना) .....

उत्तर :.....

दक्षिण : .....

पूरब :.....

पश्चिम:.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1).....पुत्र.....निवासी

(2).....पुत्र.....निवासी

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मानक बोतलों या कैनो 650 मि0ली0, 500 मि0ली0,330 मि0ली0,300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर एवं 1000मि0ली0, 275मि0ली0 की धारिता में केवल कम तीव्रता के मादक पेय और वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है,की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को, जिला.....के अन्तर्गत..... .स्थान, पुलिस थाना..... तहसील..... के लिये दिनांक .....से 31 मार्च 20..... हेतु, जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित विशेष और सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उनमें से किसी का अथवा इस नियमावली का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्ते

1- लाइसेंसधारी, बीयर (वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय सहित) की आपूर्ति, अधिमानतः ई-पेमन्ट के माध्यम से समय समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिला के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श02ख)से प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0श0-2/वि0श02ख लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक लाइसेंसधारी (वि0श0-2/वि0श)2ख) से बीयर,वाइन और कम तीव्रता के पेय आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2- लाइसेंसधारी, अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में, जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।

3- लाइसेंस प्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग /पेय नहीं की जायेगी।

4-किसी भी व्यक्ति को 650 मि0ली0, 500मि0ली0, 330मि0ली0 300 मि0ली0 और 275 मि0ली0 में बीयर व कम तीव्रता के मादक पेय एवं वाइन ऐसी धारिताओं में जैसा कि सुसंगत नियमावलियों में उपबंधित है तथा अतिरिक्त रूप से केवल कम तीव्रता के मादक पेय के लिये 1000मि0ली0 व 275मि0ली0 की मानक बोतलों एवं कैंस में बिक्री की जायेगी।

5- बीयर/ वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर दायी ओर शीर्ष पर 1X1 सेंटीमीटर के स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में तीव्रता एवं अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।

6-उपरिलिखित क्षमता के मुहरबन्द बोतलों या कैंस में विहित तीव्रता और मात्रा के बीयर एवं वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा हो, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

7- लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0-25ख) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया हो, नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा एवं उसे यू.पी.एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर एस.एम.एस. के माध्यम से अपलोड करेगा और उसे जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8- लाइसेंसधारी बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय के सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंसयुक्त परिसर में करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अधीन विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविर्निदिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।

9- लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वारा पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-

''दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

''शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।''

10- लाइसेंसधारी, किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को राज्य सरकार

द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11- लाइसेंसधारी किसी क्रेता को भारत में निर्मित व आयातित बियर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।

12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी, इक्कीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।

13-लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या कैनों व उसके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली से फिक्स किया गया सुरक्षा कोडया मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।

14- लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, ईत्र, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।

15-सिवाय लाइसेंसधारी /विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।

16- लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के दृष्टिगत उपभोक्ता को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी निषिद्ध है।

17- लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, परिवर्तन किया जा सकेगा।

18-लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है।

19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसका निस्तारण समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।

21- लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री का कार्य करने के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तद्नुसार विहित प्रपत्र में विहित शुल्क का संदाय करने के पश्चात् नौकरनामा जारी करेगा।

दिनांक .....
जिला.....
लाइसेंस प्राधिकारी

आज्ञा से,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।